भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3300

सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

बढ़ता कृषि रोज़गार और उसका प्रभाव

3300. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कृषि रोजगार में 3.6 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के साथ 46.1% तक की वृद्धि का आकलन किया है, जैसा कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि रोजगार में वृद्धि सहित आकलन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो आकलन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कृषि की ओर वापस लौटने के लिए प्रेरित करने वाले कारकों और उत्पादकता और आय के स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों की पहचान की है; और

(ङ) इस बदलाव को प्रेरित करने और विनिर्माण और सेवाओं जैसे उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की ओर संक्रमण को सुगम बनाने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि हर साल जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में सामान्य स्थिति में कामगार का प्रतिशत वितरण वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान क्रमशः 45.5%, 45.8% और 46.1% था।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर श्रम उत्पादकता (एलपी) सहित रोजगार अनुमान प्रदान करता है।

केएलईएमएस के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, होटल और रेस्तरां, कोक, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद और परमाणु ईंधन, डाक और दूरसंचार, मशीनरी, लकड़ी और लकड़ी से बनी वस्तुएं, बिजली, गैस और जल आपूर्ति आदि जैसे उद्योगों ने 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में श्रम उत्पादकता (एलपी) में वृद्धि दर्ज की है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई), मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया आदि क्रियान्वित कर रहे हैं जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) का कार्यान्वयन कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल में प्रवीणता दिला कर भविष्य के लिए तैयार करना है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहलों संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है। इसमें बजट 2024-25 में घोषित की गई 1,07,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रोजगार संबंद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शामिल है जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप देना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

ईएलआई योजना का एक भाग विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत नियोक्ताओं को रोजगार की औपचारिकता/सृजन के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। ईएलआई योजना का दूसरा भाग सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में उद्योग को प्रोत्साहित करना है।

***